# भारत क्षाजपत्र The 5 azette of $\mathfrak{I n}$ ndia 

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग H -खण्ड 3 - उप-खण्ड (i)
PARTIL-Section 3-Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकांशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| सं. 55] | नई दिल्ली, सोमवार, फरबरी 14, 2005/माष 25, 1926 |
| :--- | :--- |
| No. 55] | NEW DELFI, MONDAY, FEBRUARY 14, 2005/MAGHA 25, 1926 |

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(कार्मिक शाख्वा-1)
शुाद्ध पत्र
नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2005
सा.का.नि. 68(अ).- भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्डे-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ. 7(105)96/ का. शा.- 1 दिनांक 7 जनवरी, 2005 के हिन्दी पाठ में आंशिक संशोधन करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रणाली शाखा के भर्ती विनियमों के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित संशोधन/सुधार किया जाता है :-

|  | अधिसूचित//प्रकारित | सुधार/शुद्ध करना |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. प्रोग्रामर एवं कन्सोल ऑपेरेटर (अब प्रोग्रामर के रूप में पुनर्वदनामित) के पद हेतु भर्ती विनियम अनुबंध सं.-3 | 50 प्रतिशत भर्ती द्वरा | 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा |
| $\begin{aligned} & \text { पृष्ठ-4 व } 5 \\ & \text { कॉलम-10 } \end{aligned}$ <br> भर्ती की पद्धति |  |  |
| 2. सहायक निदेशक (प्रणाली) के पद हेतु भर्ती विनियम अनुबंध सं. $\mathbf{- 4}$ <br> पृष्ठ सं. -5 व 6 <br> कॉलम-3 <br> वर्गीकरण | समूब" 'ग" | समूह"क"' |
| 3. उपनिदेशक (प्रणाली) के पद हेतु भर्ती विनियम अनुबंध सं. -5 <br> पृष्ठ सं. -7 व 8 <br> कॉलम-2, पदों की संख्या | छहु-6 <br> समय-समय पर स्वीकृति के अनुसार परिवर्तनीय | पांच-5 <br> समय-समय पर स्वीकृति के अनुसार परिवर्तनीय |

विश्ष मोहन बंसल, मुख्ञ आयुक्त एवं सचिक

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

## (Personnel Branch-I)

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th February, 2005
G.S.R. 68(E).-In partial modification of Notification No. F.7(105)96/PB-I dated 7-1-2005 published in the Gazette of India, under Part-II, Section 3, Sub-section (i) Extraordinary, the following rectifications/corrections in respect of Recruitment Reguations for System Cadre are made as under :-

|  | Notified/Published | Rectification/Correction made |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. Annexure-3, P-12-13 <br> Recruitment Regulations for the post of Programmer-cum-Console Operator (Now renamed as Programmer) <br> Col. No. 15 <br> Power to relav | When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may be order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts. | When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts. |
| 2. Annexure No. 5 . <br> P-15 and 16 <br> Recruitnent. <br> Regulation for the nonst of <br> Deputy Director (Systems). <br> Conmunive. 2 <br> No. of posts | *Six (6) <br> *Subject to variation as per sanction from time to time | *Five (5) <br> *Subject to variation as per sanction from time to time. |

[No.F.7(105)96/PB-1]
V.M. BANSAL, Pri. Commissioner-cum-Secy.

## EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)
PART II-Section 3-Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLLSHED SY AUTHORITY
सं. 7]
No. 7] दिल्जी, शुक्रकार, जनवरी 7, 2005/पौष 17, 1926
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 2005/PAUSA 17, 1926

```
दिल्ली विकास प्राधिकरण
( कार्मिक शाखा़ा-1)
अधिसूचना
```

नई दिल्ल्ली, 4 अक्तूबर, 2004
सा०का०नि० 8( अ),-दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास (विषिध) नियम, 1959 के उप-नियम 4 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्रणाली शाखा के विभिन्न पदों के लिए अनुबंधे-1 से अनुघंध-6 के अनुसार भर्ती विनियम बनात्ता है/भर्ती नियमों में संशोधन करता है।

अनुबंध संख्या पद का नाम, जिसके लिए भती विनियमों को अधिसूचित किया जा रहा है।

1. कनिष्ठ डाटा सहायक
2. वरिष्ठ डाटा सहायक
3. प्रोग्रामर-एवं-कंसोल ऑपरेटर (अब प्रोग्रामर के रूप में पुनर्पदनामित)
4. सहायक निदेशक (प्रणाली)
5. उप निदेशक (प्रणाली)
6. निदेशक (प्रणाली)

अनुबन्ध-1
कनिष्ठ ड्ञाटा सहायक के पद हेतु भर्ती विनियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | स्गर्गीकरण | वेतनमान | क्या चयन पद है अधवा अचयन पद है |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. कनिष्ठ ड्राटा सहायक | * आठ (8) <br> *वर्तमान पदधारियों <br> की पदोन्नति अथवा <br> सेवा निवृत्ति अथ्वा <br> त्याग-पत्र के बाद <br> समाप्त कर दिए जाएंगे। | समूह-ग | 4500-125-7000/- रुपयें | लागू नहीं |

क. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
ख. क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है ?

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में सीधे भर्ती व्यक्तियों ह्रेतु निर्धीरित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी
(6)

क. 25 वर्ष से अधिक नहीं।
ख. लागू नहीं
(7)
(8)

| क. 25 वर्ष से अधिक नहीं। | योग्यता : | लागू नहीं |
| :---: | :---: | :---: |
| ख. लागू नहीं | अनिषार्य : |  |
|  | i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नात्रक। |  |
|  | ii. डिपार्टमेंट ऑफ इलैक्ट्रानिक्स एक्रीडिटेशन ऑफ |  |
|  | कम्प्यूटर कोर्स (डी. ओ. ई.ए.सी.सी.) से 'ओ ' स्तर की |  |
|  | परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। |  |
|  | iii. 10,000 की डिग्रेशन प्रति घंटा की गति से डाटा एण्ट्री/सत्यापन का कार्य करने में समर्ध हों, जिसकी जांच |  |
|  | विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की जाएगी। |  |


| परिसीक्षा अर्वधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति-सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा अथमा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाल्ती रिक्तियों की प्रतिशतता | यदि भर्तो पदोन्नति/स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका क्या गठन है ? |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (9) | (10) | (11) | (12) |
| दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं | समूह ' ग' वभागीय पद्नोन्नति समिति |


| बचाव | निरहंता | शिधिल करने की शर्ति |
| :---: | :---: | :---: |
| (13) | (14) | (15) |
| इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूच्चित जाति, अनुसूचित जम जाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गो या व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। | कोई भी ऐस्सा व्यक्ति जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो। | जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेगी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिधिल कर सकते हैं। |

अनुबन्ध-2
वरिष्ठ डाटा सहायक के पद हेतु भर्ती म्रिनियम
पद का नाम
(1) पद्दों की संख्या

1. वरिष्ठ डाटा
सहायक
(6)
(7)
(8)

क. 30 वर्ष से अधिक नहीं।
ख. नहीं
योग्यता :

## अनिवार्य :

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
2. डिपार्टमैंट ऑफ इलैक्ट्रानिक्स एक्रीडिटेशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्स (डी.ओ. ई.ए.सी.सी.) से 'ओ' स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
3. 10,000 'की-डिर्रेशन' प्रति घंटा की गति से डाटा एण्ट्री/सत्यापन का कार्य करने में समर्थ हों, जिसकी जांच विभागीय पद्नेन्नति समिति द्वारी की जाएगी।
4. डाटा एंट्री/डाटा सत्थापन एवं वैद्यता में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।

| परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथषा स्थानांतरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतितों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रशितता। | यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह प्रेड, जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है। | यदि विभागीय पंदोन्नति समिति है तो इसका क्या गठन है ? |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (9) | (10) | (11) | (12) |
| दो वर्ष | पदेन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वार। | पदोन्नति <br> ग्रेड में कम-से-कम 5 वर्षों की नियमित सेवा करने पाले कनिष्ठ डाटा सहायक से | समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति |

बचाख
(13)

इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों या व्यक्तियों को मिलने काले आरक्षण या आयु सीमा में छ्यू और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
(14)

कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसने अपने पति/ पली के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विसाह करने का अनुबंध किया हो।
(15)

जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।

अनुबन्ध-3
प्रोग्रामर एवं कन्सोल ऑपरेटर ( अब प्रोग्रामर के सूप में पुनर्पदनामित ) के पद हैतु भती विनियम

| पद का.नाम | पदों की संख्या | व्रर्गीकरण | वेतनमान | क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है ? |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. प्रोग्रामर एवं कन्सोल ऑपरेटर (अब प्रोग्रामर के रूप में पुनर्पदनामित) | * आठ (8) <br> *संस्लीकृति के <br> अनुसार समय- <br> समय पर <br> परिवर्तनीय | समूह-ख | 5500-175-9000/- र्पये | चयन पद |

क. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा ख. क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंखर्गत सेवा में किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है ?

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एबं अन्य योग्यताएं
.
क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्त घ्यक्तियों के मामले में सीधे भर्ती व्यक्तियों हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी।
(6)
(7)
(8)

क. 30 वर्ष से अधिक महीं।
योग्यता :
ख. लागू नहीं
अनिव्वार्य :

आयु—नहीं
शैक्षिणक योग्यता-नहीं

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वक्विद्यालय अथव्रा कालेज/संस्थान से कम्प्यूटर/विझान/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/ इलैक्ट्रोनिक्स में इंजीनियरिंग डिग्री।

अथवा
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, ईंजीनियरिंग कालेज/ संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री।

अथवा
डिपार्टमेंट ऑफ इलैक्ट्रानिक्स एक्रीडिटेशन ऑफ कम्म्यूटर कोर्स (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) से 'बो' स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हों।
2. सॉफ्टवेयर विकास, आर डी बी एम एस और ड्डाटा प्रोसेसिंग में एक वर्ष का अनुभव।

| परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/परिनियुयुक्ति की जानी है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसका क्या गठन है |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (9) | (10) | (11) | (12) |
| दो वर्ष | 50 प्रतिशतं पदोन्नति द्वारा, वरिष्ठ डाटा सहायकों में से, अन्दथा सीधी भर्ती द्वारा। <br> 50 प्रतिशत भर्ती द्वारा। | पदोन्नति <br> ग्रेड में कम-से-कम 8 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले वरिष्ठ डटा सहायको में से। | समूह ' ख' विभागीय पदोन्नति समिति |

बचाव

इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकारदिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आरी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों या ष्थक्तियों को मिलने वाले आरक्षण या आयु सीमा में धूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव्व पड़े।

कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा-
जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विबाह कर लिया हो अथवा विबाह करने का अनुबंध किया हो, जिसका पति/पत्नी जीवित हो।

जब अध्यक्ष की यह्र राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल्न कर सकते हैं।

## अनुबन्ध 4

सहायक निदेशक ( प्रणाली ) के पद हेतु भर्ती विनियम
$\left.\begin{array}{llll}\hline \text { पद का नाम } & \text { पदों की संख्या } & \text { वर्गीकरण } & \text { वेतनमान }\end{array} \begin{array}{l}\text { क्या चयन पद है अथवा अचयन } \\ \text { पद है }\end{array}\right]$

क. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतएयं
ख. क्या सी.सी. एस. (पेंशन) नियम,
1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेषा
में किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है ?

क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में सीधे भर्ती व्यक्तियों हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी

| (6) | (7) | (8) |
| :---: | :---: | :---: |
| क. 35 वर्ष से अधिक नहीं। | योग्यता : | आयु : नहीं |
| ख. नही | अनिवार्य ; | शैक्षणिक योग्यता : नहीं |
|  | 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इंजीनियरिग कालेज/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर इंजीनियरिग/ इलैक्ट्रोनिक्स में इंजीनियंरिंग डिग्री। |  |
| . | अथवा |  |
|  | किसी मान्यत्तप्राप्त विश्वविद्यलय, इंजीनियरिग कालेज/ संस्थान से कम्य्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री। |  |
| . | - अथव下 |  |
| - | डिपार्टैंट ऑफ इलैक्ट्रानिक्स एक्रीडिटेशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्स (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) से 'बी' स्तर की परिक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। |  |
|  | 2. प्रणाली विश्लेपणु, डिजाइन, सॉफ्टवेयर खिकास एवं कार्यान्वयन के साथ-साथ डाटा प्रणाली में 4 वर्षों का अनुभव |  |

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो

भर्ती की पब्द्धति : सीधी भर्त्री द्वारा यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/ अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो स्थानांतरण द्वारां अथवा प्रतिनियुक्ति वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति/स्थानांद्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने काली रिक्तियों की प्रतिशतता

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसका क्या गठन है तरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है
(10)
(11)
(12)

50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, अन्यथा
सीधी भर्ती द्वारा।
पदोन्नति
ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले प्रोग्रामर से

| बचाव निर्हता |
| :---: |
| (13) |

इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकारदिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपर्षू सैनिक और अन्य्य विशेष वर्गों के व्यक्कियों को मिलने वाले आरक्षण या आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, जिसका पति/पत्नी जीवित हो।

जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों और पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश्श द्वारा शिशिल कर सकते हैं।

## अनुबन्ध-5

उप निदेशक ( प्रणाली) के पद हेतु भर्ती विनियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान |
| :--- | :--- | :--- | :--- | | क्या चयन पद है अथणा अचयन |
| :--- |
| पद है |

क. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा ख. क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित औैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं
क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में सीधे भर्ती क्यक्तियों हेतु निध्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होगी
(6)
(7)

## (8)

क. 40 .वर्ष से अधिक नहीं।
(सरकारी कर्मच्चारियों के लिए छूट) अनिवार्य :
ख. नहीं

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इंजीनियरिंग कालेज/संस्थानं से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर इंजी़ियरिग// इलैक्ट्रोनिक्स में इंजीनियरिंग डिग्री।

अथवा
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यलयय, इंजीनियरिंग कालेज/ संस्थान से कम्प्यूटर विझ्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में मस्त्रर डिग्री।

अथषः
डिपार्टमेंट ऑफ इलैक्ट्रानिक्स एक्रीडिडेशन्स ऑफ कम्प्पूटर कोर्स (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) से 'बी' स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
2. प्रणाली विश्लेषण, डिजाइन, सॉफ्टवेयर विकास एवं कार्यान्व्यन, प्रणाली एवं नेटवर्क एडरिमिस्ट्रेशन का सात वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 3 वर्ष का अनुभष वास्तविक प्रणाली प्रशासन का होना चाहिए।

| परिवीक्षा अंधधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्वति सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वली रिक्तियों की प्रतिशतता | यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका क्या गठन है |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (9) | (10) | (11) | (12) |
| दो वर्ष | पदोन्नति द्वारा जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। | पदोन्नति : <br> ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले सहायक निदेशक (प्रणाली) से। प्रतिनियुंक्ति : <br> केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन में समान पद पर कार्यरत अधिकारियों से। | समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति |


| बचाव | निररहता | शिथिल करने की शक्ति |
| :---: | :---: | :---: |
| (13) | (14) | (15) |
| इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजगति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों या व्यक्तियों को मिलने वाले अरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। | कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पति/ पत्मी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो अभवा विवाह करने का अनुबंध किया हो। | जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आव्वश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी़ अथवा वर्ग अधवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को अदेश द्वारा शिधिल कर सक्ते हैं। |

अनुबन्ध~6
निदेशक ( प्रणाली) के पद हेतु भर्ती विनियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. निदेशक (प्रणाली) | * एक <br> * समय-समय <br> पर स्वीकृति के अनुसार परिवर्तनीय | समूह-क | 12,000-375-16,500 रुपये | चयन पद |

क. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
ख. क्या सी.सी. एस. ( ेेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है

सीर्धी भर्ती हेतु अपंपक्षित रैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं
क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में सीधे भर्ती व्यक्शियों हेतु निर्धारित आयु एवं घैक्षणिक योग्यतएं लागू होंगी
(6)
(7)

## (8)

| क. लागू नहीं | योग्यता : |
| :---: | :---: |
| ख. नहीं | अनिवार्य : |
|  | 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इंजीनियरिंग कालेज/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/ |
|  | अथवा |
|  | किसी मान्यता प्रप्त्त विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज/ संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री। |
|  | अथवा |
| - | डिपार्टमेंट ऑफ इलैक्ट्रानिक्स एक्रीडिटेशन्स ऑफ कम्प्यूटर कोर्स (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) से 'बी' स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। |
| - | 2. सूचना प्रणाली के प्रबंधन में 2 वर्ष के अनुभव सहित प्रणाली विश्लेषण, डिजाइन, सॉफ्टवेयर विकास एवं कार्यान्ष्ययन, प्रणाली एबं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का दस वर्ष का अनुभव। |


| परिवीक्षा अखधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धाति- सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थ!्नांतरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने दाली रिक्तियों की प्रशितता। | यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतऱण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह ग्रेड, जिससे पद्षोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है। | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका क्या गठन है ? |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (9) . | (10) | (11) | (12) |
| दो वर्ष | पदोन्नति द्वारा जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। | पद्दोन्नति <br> ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले उपनिदेशक (प्रणाली) से। प्रतिनियुक्ति : <br> केन्द्र/राण्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन में समान पद्द पर कार्यरत अधिकहिरियों से। | समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति |


| बचाव | निरहता | शिथिल करने की शक्ति |
| :---: | :---: | :---: |
| - (13) | (14) | (15) |
| इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जागरी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, भूतपर्षू सैनिक और अन्य विशेष वर्शों या व्यक्तियों को मिलने वाले भारक्षण या, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाष पड़े। | कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पति/ पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो। अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो। | जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो मह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकरो हैं। |

[सं.एफ. 7 (105)96/का.शा.-I]
विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एबं सचिव

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

## (Personnel Branch-I)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2004
G.S.R. 8(E).-In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 ( 61 of 1957) read with the Sub-rule 4 of the Delhi Development (Miscellaneous) Rules, 1959, the Delli Development Authority hereby makes/amend the Recruitment regulation with the previous approval of the Central Government for the various posts of System Wing as per the Annexure-1 to Annexare-6.

| Annexure No. | Name of the Post for which RRs to be Notified |
| ---: | :--- |
| 1. | Junior Data Assistant |
| 2. | Senior Data Assistant |
| 3. | Programmer-cum-Console Operator (Now renamed as Programmer) |
| 4. | Assistant Director (System) |
| 5. | Deputy Director (System) |
| 6. | Director (System) |

## Annexure-1

RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF JUNIOR DATA ASSISTANT

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or nonselection post |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jr. Data Assistant | 8* <br> *To be abolished after promotion or retirement or resignation of present incumbents. | Group 'C' | 4500-125-7000/- | Not applicable |

(a) Age limit for direct recruitment
(b) Whether benefit of any added years of service admissible under rule-30 of CCS (Pension) Rules, 1972

Educational and other qualifications required for direct recruits

| 6 | 7 | 8 |
| :---: | :---: | :---: |
| (a) Not exceeding 25 years | Qualification: | N.A. |
| (b) N.A. | Essential |  |
|  | (i) Graduate from a recognised University |  |
|  | (ii) Should have passed ' $O$ ' level examination from the Deptt. of Eloctronics Accreditation of Computer Course (DOEACC) |  |
|  | (iii) Data entry/Verification with a speed of 10,000 key depression per hour to be tested by D.P.C. |  |


| [भाग II-खप्ड 3(i)] | भारत का राजपत्र : असाधारण |  |  |  | 11 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputations \& percentage of the vacancies to be filled by various methods. |  | In case of recruitment by promotion/transfer/deputation grades from which promotion/transfer/ deputation is to be made |  | If a DPC exists what is its composition |
| 9. | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Two years | By direct recruitment |  | N.A. |  | Group ‘C' DPC |
| Saving | Disqualification |  |  | Power to relax |  |
| 13 | 14 |  |  | 15 |  |
| Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard. |  | No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive. |  | When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts. |  |

## Annexure-2

RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF SENIOR DATA ASSISTANT

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Senior Data | 4* | Group 'C' | Rs. 5000-150-8000 | Selection post |
| Assistant | *To be abolíshed after promotion or retirement or resignation of present incumbents. |  |  | Seler |

(a) Age limit for direct recruitment
(b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.

| 6 | 7 | 8 |
| :---: | :---: | :---: |
| (a) Not exceeding 30 years | Qualification : | N.A. |
| (b) $\mathrm{N} \varphi$ | Essential |  |
|  | (i) Graduate from a recognised University <br> (ii) Should have passed ' O ' level examination from the Deptt. of Electronics |  |

Accreditations of Computer Course (DOEACC).
(iii) Data entry/Verification with a speed of 10,000 key depression per hour to be tested by D.P.C.
(iv) Atlcast 5 years experience in Data entry/ verification and validation of data.

| Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputations and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/transfer/deputation grades from which promotion/transfer/ deputation is to be made | If a DPC exists what is its composition |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| Two years | By promotion failing which by direct recruitment | Promotion <br> From Jr. Data Assistant witl atleast 5 years regular service in the grade | Group ' ${ }^{\text {' }}$ DPC |


| Saving | Disqualification | Power to relax |
| :---: | :---: | :---: |
| 13 | 14 | 15 |
| Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Ex-Servicemen and other special categories or persons in | No person who has entered into or coniracted a second marriage when his/her spouse is alive. | When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts. | accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.

## Annexure-3

RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF PROGRAMMER-CLM-CONSOLE OPERATOR (NOW RENAMED AS PROGRAMMER)

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non- <br> selection post |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Programmer-cum- <br> Console operator <br> (Now renamed as | $8^{*}$ | Subject to variation as <br> per sanction from time to <br> time |  | Group 'B' |


| (a) Age limit for direct recruitment <br> (b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972 | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educationa qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists. |
| :---: | :---: | :---: |
| 6 | - 7 | 8 |
| (a) Not exceeding 30 years <br> (b) No | Qualification : <br> Essentia- <br> (i) Engineering Degree in Computer Science/Computer Engineering/ Electronics from a recognised University or Engineering College/Institute. | Age: No |
|  |  | Educational Qualification: No |
|  |  |  |
|  | OR |  |
|  | Master Degree in Computer Science/ Computer Application from a recognised University, Engineering College/ Institute |  |
|  | OR |  |
|  | Should have passed ' $B$ ' level examination from the Deptt. of Electronics Accreditations of Computer Course (DOEACC). |  |
| , | (ii) One year experience in Software Development, RDBMS and Data Processing. |  |


| Period of probation, <br> if any | Method of recruitment, whether <br> by direct reccuitment or by pro- <br> motion or transfer or by depu- <br> tations and percentage of the <br> vacancies to be filled by | In case of recruitment by promo- <br> motion/transfer/deputation grades <br> from which promotion/transfer/ <br> deputation is to be made | If a DPC exists what is <br> its composition |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


| 9 |  | 10 | 12 |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Two years | 50\% by promotion, from Sr. Data <br> Asstts. failing which by direct <br> recuitment. <br> $50 \%$ by direct recruitment. | Promotion: <br> From Sr. Data Assistant with atleast <br> 8 years regular service in the grade. | Group 'B' DPC |


| Saving | Disqualification | Powerto relax |
| :---: | :---: | :---: |
| B | 4 |  |

Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schẹduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.

No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive.

## B

When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may be order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.

88 GIIOS-4

Annexure-4

## RECRUTTMENT REGULATION FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR (SYSTEMS)

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non- <br> selection post |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Assistant Director <br> (Systems) | *Eight ( 8 ) <br> *Subject to variation as <br> per sanction from time to <br> time | Group 'A' | Rs. 8000-275-13500/- | Selection post |

(a) Age limit for direct recruitment
(b) Whether bencfit of any added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.
$6 \quad 7 \quad 8$
(a) Not exceeding 35 years
(b) No

Qualification:

Essential-
(i) Engineering Degree in Computer Science/Computer Engineering/ Electronics from a recognised University or Engineering College/Institute.

## OR

Master Degree in Computer Science/ Computer Application from a recognised University, Engineering College/ Institute.

## OR

Should have passed ' $B$ ' Ievel examination from the Deptt. of Electronics Accreditations of Computer Course (DOEACC).
(ii) 4 year experience in System analysis, Design, Software Development and Implementation as well as Data Processing

Period of probation, Method of recruitment, whether if any by direct recruitment or by pro-
motion or transfer or by deputations and percentage of the vacancies to be filled by various methods.

In case of recruitment by promotion/transfer/deputation grades from which promotion/transfer/ deputation is to be made

If a DPC exists what is its composition

| Saving | Disqualification | Power to relax |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 13 | 14 | 15 |

Nothing in these requlations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.

No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive

When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.

## Annexure- 5 <br> RECRUTTMENT REGULATION FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR (SYSTEMS)

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non- <br> selection post |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Deputy Director <br> (Systems) | *Six (6) <br> *Subject to variation as <br> per sanction from time to <br> time | Group 'A' | Rs. 10000-325-15200/- | Selection post |

(a) Age limit for direct recruitment
(b) Whether benefit of any added years of service admissible under nule-30 of CCS (Pension) Rules, 1972

Education and other qualifications required for direct recruits

| 6 |  | 7 | 8 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| (a) Not exceeding 40 years <br> (relaxable for Govt. Servants) | Qualification: |  | Age No <br> (b) No |

(i) Engincering Degree in Computer Science/Computer Engineering/ Electronics from a recognised University or Engineering College/Institute.

OR
Master Degree in computer Science/ Computer Application from a recognised University, Engincering College/ Institute

## OR

Should have passed 'B' level examination from the Deptt. of Electronics Accreditations of Computer Course (DOEACC).
(ii) Seven years experience in System Analysis, Design, Software Development \& Implementation System and Network Administration out of which alleast 3 years experience should be in actual system Administration.

| Period of probation, if any. | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputations and percentage of the vacancies to be filled by various methods. |  | In case of rec tion/transfer/ from which $p$ deputation is | uitment by promodeputation grades romotion/transfer/ to be made | If a DPC exists what is its composition |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Two years | By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment |  | Premotion From Asstt. with at least 5 vice in the gr <br> Deputation: <br> Officers hold under the Ce Public Sector mous Organi | irector (Systems) years regular serde. <br> ng analogous posts tre/State Govt./ Undertaking/Autonoation. | Group 'A' DPC |
| Saving |  |  | Disqualification |  | Power to relax |
| 13 |  |  | 14 |  |  |
| Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to tirte in this regard |  | No person into or cont marriage wh is alive | has entered ted a second his/her spouse | When the Charman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts. |  |

Annexure-6
RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF DIRECTOR (SYSTEMS)

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non- <br> selection post |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1. | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Director <br> (Systems) | *One (1) <br> *Subject to variation as <br> per sanction from time to <br> time | Group 'A' | Rs. 12000-375-16500 | Selection post |

(a) Age limit for direct recruitment
(b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule-30 of CCS (Pension) Rules, 1972

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists

| 6 | 7 | 8 |
| :---: | :---: | :---: |
| (a) Not applicable <br> (b) No | Qualification: | Not applicable |
|  | Essential : |  |
|  | (i) Engineering Degree in Computer Science/Computer Engineering/ Electronics from a recognised University or Engineering College/ Institute |  |
|  | QR |  |
| - | Master Degree in Computer Science/ Computer Application from a recognised University, Engineering College/ Institute |  |
|  | OR |  |
| $\cdots$ | Should have passed ' $B$ ' level examination from the Deptt. of Electronics Accreditations of Computer Course (DOEACC). |  |
|  | (ii) Ten year experience in System Analysis, Design, Software Development \& Implementation System and Network Administration with atleast 2 years in Managing Information systems. | . |


| Period of probation, <br> if any | Method of tecnitment, whether <br> by direct recruitment or by pro- <br> motion or transfer or by depu- <br> tations and percentage of the <br> vacancies to be filled by <br> various methods | In case of recruitment by promo- <br> motion/transfer/deputation grades <br> from which promotion/transfer/ <br> deputation is to be made |
| :--- | :--- | :--- | | If a DPC exists what is |
| :--- |
| its composition |


| 9 | $\frac{10}{\text { Two years }}$By promotion, failing which by <br> deputation, failing which by <br> direct recnitment |
| :---: | :--- |

## Promotion:

From Deputy Director (Systems) with atlcast 5 years regular service in the grade.

## Deputation:

Officers holding analogous posts under the Centre/State Gont./ Public Sector Undertaking/Autonomous Organisation

| Saving | Disqualification | Power to rclax |
| :---: | :---: | :---: |
| 13 | 14 | 15 |

Nothing in these requlations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govi./Delhi Development Authority from time to time in this regard.

No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive.

When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of anty class or category or persons or posts.

